

देवघर समाहरणालय  
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या ...951/भू अ०

दिनांक : 14/12/17


चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बन्धा केन्दुआ, थाना-देवघर, थाना सं०- 216, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मानिकपुर से दर्दमारा भाया केनमनकाठी पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बन्धा केन्दुआ, थाना-देवघर, थाना सं०-216, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.39 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	6	98	रैयती	बाड़ी-2	0.11	मणिलाल दास पे० मीतन महारा वो हरी महारा वो छोटी महारा पे० तालेश्वर महारा वो मोहन महारा पे० चुरामन महारा वो शुकर महारा वो महादेव महारा पे० दीनु महारा अंश समान सा० आरेपा।	मौजा बड़ा धोवना नं० 217	मौजा गड़जोर नं० 06	अर्जित दाग का अंश रकवा	मौजा गड़जोर नं० 217
2	10	68	रैयती	बाड़ी-2	0.04	जहरुद्दीन अंसारी वो तमिजउद्दीन पे० सुभान मियां वो निस्तार मियां वो युनुस अंसारी पे० इब्रहिम मियां वो अताउल अंसारी वो कजाउल अंसारी वो समिउल आलम पे० इद्रीश मियां वो मो० दाउद अंसारी वो नौशाद अंसारी पे० सदीम मियां वो समसुद्दीन मियां पे० कोदो मियां अंश समान सा० देह।				
3	10	74	रैयती	बाड़ी-2	0.03					
4	10	75	रैयती	धानी-2	0.07					
5	10	80	रैयती	धानी-2	0.02	हारुण मियां वो रूस्तम मियां पे० इशो मियां वो मकसुद अंसारी वो मो० खुर्शीद अंसारी पे० बोधी मियां वो अकबर मियां पे० खुदू मियां वो जुवेदा खातुन पे० रजाम मियां वो हबीब मियां वो इस्लाम मियां पे० बुधु मियां वो मो० जमाल उद्दीन अंसारी वो जैनुल मियां पे० मकबुल मियां वो सउद अंसारी वो मो० असाद अंसारी पे० हलीम मियां वो सफीक मियां वो हमीद मियां पे० अबजली मियां अंश समान सा० देह।				
6	10	82	रैयती	धानी-3	0.08					
7	79	5	रैयती	बाड़ी-2	0.04	मुस्तवाहा।				
कुल रकवा-					0.39					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
13/12/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 951 / भू अ0, देवघर, दिनांक 14/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
13/12/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।